कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा 2

पत्रांक 1090 छपरा/दिनांक 15.06.2021

सेवा में,

श्री उमेश कुमार सिंह,
ग्राम – हरकपुरा, पो0 + थाना – दाउदपुर,
जिला – सारण।

विषयः– ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना अन्तर्गत कोपा कुमना पथ से तरवां पतीला PMGSY तक पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि आपके द्वारा अनुरक्षण का कार्य संतोषजनक नहीं कराया गया है, जिस कारण आपके निबंधन को डिबार सूची में डालने की अनुशंसा कर दी गयी है। पुनः आपको एक सप्ताह का समय दिया जाता हैं कि आप उक्त पथ का कार्य पूर्ण कराकर अपने कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के माध्यम से कराये गये कार्य का प्रतिवेदन समर्पित करें ताकि डिबार सूची से आपका नाम विलोपित करने की अनुशंसा की जा सकें।

अतः आपको अंतिम बार स्मारित किया जाता हैं कि यदि आपके द्वारा एक सप्ताह के अंदर विषयांकित पथ का अनुरक्षण कार्य पूर्ण नहीं कराया जायेगा तो आपके एकरारनामा को विखंडित कर, जमानत की राशि को जब्त करते हुए आपके निबंधन को काली सूची में डालने की अनुशंसा कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेवार होगें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

15/6/21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, छपरा 2.